नव भारत
राष्ट्र हित का प्रहरी १९३४ से

शुभ रामनवमी

एक नजर में

डेनमार्क के राजदूत ने किया सिंधिया स्कूल का दौरा

ग्वालियर. सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में भारत में डेनमार्क के राजदूत तथा नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के अनिवासी राजदूत रासमस एबिलगार्ड क्रिस्टेंसन का आगमन हुआ, उनके विद्यालय आगमन पर प्रधानाचार्या निशि मिश्रा द्वारा पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया. इस अवसर पर भारती सूद, करियर काउंसलर एवं उर्वशी पांडे कॉर्डिनेटर के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहीं. यह दौरा वैश्विक जुड़ाव और सहयोग की भावना का प्रतीक रहा. विद्यालय की छात्राओं ने राजदूत को विद्यालय परिसर का भ्रमण कराया.

409 करोड़ की नकदी और अवैध सामान किया जब्त

नई दिल्ली. चुनाव आयोग (ईसी) ने असम और केरल सहित चार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी विधानसभा चुनावों और कुछ अन्य राज्यों के उपचुनावों को धन और प्रलोभन के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने अब तक करीब 409 करोड़ रुपये की नकदी, कीमती धातुएं, शराब और मतदाताओं को लुभाने वाले सामान जब्त किए हैं. असम, केरल और पांडिचेरी विधानसभा में पहले चरण में चुनाव 9 अप्रैल को कराए जाएंगे, उस दिन चार राज्यों की छह रिक्त विधानसभा सीटों के चुनाव भी कराए जाएंगे.

गुस्ताखी माफ

माल वाहन और बस की टक्कर से 10 की मौत

- सीएम के कार्यक्रम से लौट रहे यात्रियों की बस पलटी
- घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी

छिंदवाड़ा, 26 मार्च. पुलिस लाईन ग्राउंड में आयोजित सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस की नागपुर रोड़ स्थित ग्राम सिमरिया माल वाहन से टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं व एक बच्चा शामिल है.

वही हादसे में लगभग 35 लोगों के घायल हुए हैं. बताया जा रहा कि गुरुवार को छिंदवाड़ा पुलिस ग्राउंड में हितग्राही सम्मलेन और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा थी. जनसभा में शामिल होने के लिए लोग बसों में सवार होकर आए थे. सीएम मोहन यादव के जाने के बाद सभी बसों में सवार होकर वापस लौट रहे थे. कार्यक्रम से लोगों को लेकर बस मोहखेड़ क्षेत्र की ओर जा रही थी तब रास्ते में सिमरिया हनुमान मंदिर के पास बस की टक्कर लहसून से भरे माल वाहन से हो गई, टक्कर होने के बाद बस पलट गई.

सीएम ने जताया शोक , सहायता राशि का ऐलान

मोहन यादव ने छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज नि:शुल्क किया जाएगा.

भ्रष्टाचार करने पर डबरा नपा सीएमओ पर एफआईआर

ग्वालियर, 26 मार्च. प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार करने पर डबरा नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई है. सीएमओ ने रिश्वत लेकर हितग्राहियों से उनके खाते में निर्धारित राशि से अधिक अनुदान राशि देकर शासन को 1 करोड़ 31 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक क्षति कारित की है.

ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र सिंह (हैप्पी) पुत्र स्व. कश्मीर सिंह पार्षद वार्ड क्रमांक- 11 निवासी वार्ड नं. 11 दीदार कॉलोनी झांसी रोड डबरा द्वारा पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ग्वालियर को प्रदीप भदौरिया तत्कालीन सीएमओ नगर पालिका परिषद डबरा द्वारा पीएम आवास योजना में 01 अप्रैल 23 से 30 अप्रैल 24 के बीच हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित 2.50 लाख रुपये के स्थान पर सांठगांठ कर कई हितग्राहियों के खातों में 3 लाख रूपये की राशि डालने और बिना जियो टैगिंग के हितग्राही से रुपये लेकर उनके खाते में राशि डालने के आरोप पर शिकायत की गई थी, जिसे ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल द्वारा शिकायत दर्ज किया जाकर सत्यापन के लिए इकाई ग्वालियर को प्रेषित की गई.

हितग्राहियों के खातों में नियम विरुद्ध राशि पोर्टल के माध्यम से डाली

जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही कुल 2 लाख 50 हजार रु. की राशि तीन किश्तों में दी जानी निर्धारित है, इसके विपरीत आरोपियों ने 13 विशिष्ट हितग्राहियों के खातों में नियम विरुद्ध 3-3 लाख रुपये की राशि पोर्टल के माध्यम से डाली. जियो टैगिंग और प्रक्रियाओं की अनदेखी बिना अनिवार्य जियो टैगिंग और बिना नोटशीट संचालन के ही सीधे पीपीए जारी कर भुगतान कराया गया. तत्कालीन सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने संविदा कर्मचारी राहुल गुप्ता को नियम विरुद्ध पोर्टल संचालन और भुगतान प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया था.

सीएम डॉ. मोहन यादव की शिव आराधना

उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने श्री अंगारेश्वर महादेव का सपत्नीक पूजन, दर्शन कर अभिषेक किया.

हथियारों से लैस बदमाशों ने सात लाख लूटे

जबलपुर. बेलखेड़ा थाना अंतर्गत गुबराकला गांव में बाइक टकराने की बात पर उपजे विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान हथियारों ने लैस सरपंच पति ने पुत्र और गुर्गों के साथ मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया. घर में घुसकर उपद्रव मचाया. इस दौरान फायरिंग की भी कोशिश की गई. आरोपित घर से सात लाख रुपये नकद भी लूट कर ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक सरपंच पति समेत चार नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. एसडीओपी लोकेश डाबर ने बताया कि इंद्र कुमार चौधरी पुत्र ऋषिकांत चौधरी, आकाश लोधी, अभिराज लोधी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

नीरव मोदी की याचिका ब्रिटेन की अदालत में खारिज

नई दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका दिया है और उसके भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर फिर से सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार के ताजा आश्वासनों को पर्याप्त और विश्वसनीय मानते हुए यह फैसला सुनाया.

लंदन स्थित रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि अपील को दोबारा खोलने के लिए असाधारण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में मौजूद नहीं हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी मापदंडों के आधार पर अपील को फिर से शुरू करने का कोई ठोस कारण नहीं है. यह निर्णय लॉर्ड जस्टिस स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस जे ने सुनाया. गौरतलब है कि नीरव मोदी की याचिका मुख्य रूप से 2025 के एक अन्य अदालती फैसले पर आधारित थी.

भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

इंदौर में कार बनी कत्ल का हथियार

पेंट हाउस विवाद में महिला की मौत

नव भारत न्यूज

इंदौर, 26 मार्च. शहर की एक पॉश टाउनशिप में पेंट हाउस किराए पर देने को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार रात हिंसक रूप ले लिया.

रहवासियों और पेंट हाउस मालिक के बीच हुए झगड़े के दौरान एक युवक ने तेज रफ्तार कार भीड़ पर चढ़ा दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हो गई. घटना के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में उपयोग वाहन एमपी 09 सीई 7647 भी जब्त कर लिया. घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित एमआर-11 की शिव वाटिका टाउनशिप में बुधवार रात करीब 10.30 बजे हुई. जानकारी के अनुसार टाउनशिप में स्थित पेंट हाउस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किराए पर देने को लेकर लंबे समय से रहवासियों में नाराजगी थी. आए दिन बाहरी लोगों की आवाजाही और देर रात तक गतिविधियों के चलते कई बार विवाद हो चुका था.

बाढ़ राहत घोटाले में महिला तहसीलदार गिरफ्तार

- ऑडिट जांच में हुआ था खुलासा
- विजयपुर तहसीलदार पद से बुधवार को हटाया था

मुरैना/श्योपुर, 26 मार्च. चंबल संभाग के श्योपुर जिले में वर्ष 2021 की बाढ़ राहत राशि में हुए करीब ढाई करोड़ रुपये के घोटाले की मुख्य आरोपी महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पुलिस ने आज ग्वालियर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार बड़ौदा तहसील में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर अपात्र और काल्पनिक व्यक्तियों के नाम से मुआवजा राशि निकाली गई थी, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा. ऑडिट जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ था.

इस मामले में बड़ौदा थाने में अपराध क्रमांक 439/23 के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

बताया गया है कि अमिता सिंह तोमर को बुधवार पहले ही विजयपुर तहसीलदार पद से हटाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

तहसीलदार ने केबीसी में जीते थे 50 लाख

बता दें कि महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर साल 2011 में केबीसी (कौन बनेगा करोड़पति) के पांचवें सीजन में 50 लाख रुपये जीतकर सुर्खियों में आई थीं. पिछले वर्षों में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और कमेंट डालकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताने और संविधान से जुड़ी एक पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर अमिता निलंबित भी हो चुकी हैं.

मेडिकल विवि के अधिकारी हाईकोर्ट में तलब

जबलपुर, 26 मार्च. मप्र हाईकोर्ट ने एमएससी नर्सिंग (द्वितीय वर्ष) की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के मामले को सख्ती से लिया है. जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले में एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने उक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट करने को कहा है कि विश्वविद्यालय में किस पद्धति से मूल्यांकन किया जा जाता है. न्यायालय ने डिजिटल मूल्यांकन एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी को भी तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित की है.

जवाब तलब | सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एमपी सरकार से पूछा

320 पेजों की शिकायत पर अब तक क्या हुआ?

- फिर खुलेंगी व्यापमं घोटाले की फाइलें
- सोलह अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

भोपाल/नई दिल्ली, 26 मार्च. मध्य प्रदेश के चर्चित और राजनीति में आग लगने वाले व्यापम महाघोटाले की जांच की आंच एक बार फिर तेज होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.

कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा दी गई 320 पन्नों की विस्तृत शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी और राज्य शासन अब तक की गई पूरी जांच और दाखिल की गई चार्जशीट का ब्यौरा शपथ पत्र (एफिडेविट) के साथ अदालत में पेश करें. इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल 2026 को होगी.

यह पूरा मामला पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका से जुड़ा है. दरअसल, इंदौर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित पक्ष नहीं हैं. इसके बाद सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनके वकील विवेक तन्खा ने दलील दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक सजग शिकायतकर्ता की भूमिका बेहद अहम होती है.

11 साल का सफर और फाइलों में दबी शिकायत

2014: एसटीएफ के विज्ञापन के बाद सकलेचा ने पुख्ता दस्तावेजों के साथ पहली शिकायत की।

2015: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को मिली। सकलेचा ने दिल्ली में 320 पन्नों के दस्तावेज सौंपे।

2016: सीबीआई और एसटीएफ ने बयान दर्ज किए, लेकिन ठोस कार्रवाई के बजाय फाइलें विभाग-दर-विभाग घूमती रहीं।

2023: कार्रवाई न होने पर सकलेचा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।